कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर (राज.)

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती 2024 में गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–03) विभाग, जयपुर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों में से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पु.अ. ग्रेड–III/2024–25/26038 दिनांक 30.07.2026 के द्वारा जालोर जिले को नवचयनित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III का आवंटन किया गया। उक्त भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन हेतु आयोजित ऑनलाईन काउंसलिंग दिनांक 05.08.2026 से 06.08.2026 में अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विकल्प/प्राथमिकता एवं अनुपस्थित अभ्यर्थी को शेष रही रिक्ति के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतनमान लेवल–10 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राबेशनरी ट्रेनी) के रूप में दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियमानुसार नियत मानदेय रू. 23700/– प्रतिमाह/विद्यमान वेतन पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 यथा संशोधित के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तो/समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अध्याधीन संलग्न सूची अनुसार तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है।

सम्बंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें उनके अभाव में अभ्यर्थी की नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही पाये जाने पर उक्त के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एमबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हों।
5. चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा राज्य से बाहर बोर्ड/वि.वि. से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है, उनकी शैक्षणिक योग्यता/प्रमाण पत्रों की वैद्यता संबंधी जांच रिपोर्ट इस कार्यालय से प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवायें।
6. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के मूल आवेदन, दस्तावेज एवं कम्प्यूटराईज्ड (Attestation form) में कमी/त्रुटि आदि पाये जाने पर तत्काल कार्यालय को अवगत करवाऐं।
7. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1)डीओपी/ए7II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित

Digitally signed by
BHANWAR LAL PARMAR
Designation: District
Education Officer
Date: 2026-08-07 16:48:29
IST

RajKaj Ref No.: 23908111

v-1.0

अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।

8. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावें।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवाभिलेख में संकलित किया जावे।
11. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
12. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जावें।**
13. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर कारवाई जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजो का मिलान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित छाया प्रतियो के दो सेट प्राप्त करे एवं 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि– ''यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो इन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में मेरी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी। ''
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
15. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
17. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में शैक्षणिक वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9)एफ.डी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर छाया चित्र चस्पा है। संदेह की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावें।

Digitally signed by
BHANWAR LAL PARMAR
Designation: District
Education Officer
Date: 2026-08-07 16:48:29
IST

19. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित परफोर्मा में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावे।
20. संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका तैयार करते समय 10वीं परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि आदि अंकित करें एवं अभ्यर्थी की समस्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता का सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.08.2026 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् तत्काल कार्यालय की ई–मेल आईडी– **deo.jalore.dse@rajasthan.gov.in** पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के मूल आवेदन संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इस कार्यालय को वाहक स्तर पर पुनः लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न –नियुक्ति आदेश पु.अ. ग्रेड–III Batch Id–292 (संलग्न सूची 8 अभ्यर्थी)

(भंवरलाल परमार)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

क्रमांकःजिशिअ/मु/मा/जालोर/संस्था/पु.अ.ग्रेड–III/सीभ–24/2026/718 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग पाली मण्डल,पाली।
7. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालोर।
8. सबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला–जालोर को प्रेषित कर लेख है कि आज ही संबंधित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र मय दस्तावेज निजी पत्रावली में संधारण हेतु कार्यालय से वाहक स्तर पर प्राप्त करवाया जाना सुनिश्चित करावे एवं संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/संस्था प्रधानों को अभ्यर्थी के कार्यग्रहण से पूर्व तत्काल सुपुर्द करे।
9. सम्बंधित संस्था प्रधान.....
10. सम्बंधित अभ्यर्थी.....
11. विभागीय वेबसाईट.....
12. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

Digitally signed by
BHANWAR LAL PARMAR
Designation: District
Education Officer
Date: 2026-08-07 16:48:29
IST

RajKaj Ref No.: 23908111

v-1.0

कार्यालय आदेश

Batch ID :- 292 (संलग्न सूची:-8 अभ्यर्थी) **Batch Date :- 7/08/2026 2:11:40 PM**

Sr.No	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	ADDRESS	BIRTH DATE	CTG	CTG TYPE	SPL CAT	MERIT NO.	SELECT POSTING PLACE	DISTRICT	Gender	Photo	Sign
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	854792	MANISHA NOGIA	RAMESHWAR LAL NOGIA	NEW RAMDEV COLONY NARNA VAS GALI JALORE Rajasthan JALORE JALORE 343001	05/11/1996	SC	SCF		1071	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESHWANA (213619)	JALOR	FEMALE		
2	858207	DINESH KUMAR	NIMBA RAM BISHNOI	V/P - HADECHA TEH. CHITALWANA DISTT. JALORE Rajasthan JALORE hadecha 343041	01/11/2001	OBC	GENM		120	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOLASAN (213693)	JALOR	MALE		
3	860218	DASHRATH KUMAR	NARAYAN LAL	MALIVAS BALDA POST VELANGARI SIROHI - - Rajasthan SIROHI Balda 307001	07/03/1996	OBC	OBCM		154	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAWLI (213770)	JALOR	MALE		
4	861768	BHOOR MAL SUTHAR	RAM LAL	VISHWAKARMA MANDIR KI GALI VILL POST-HARJI TEH-AHORE Rajasthan JALORE HARJI 343001	27/12/1997	OBC	OBCM		211	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL REWATRA (221156)	JALOR	MALE		

Ala Darpan

Order Generated Using NIC / RCScE Integrated Shaaladarpan(rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/) Portal Printed On: 07-08-2026

RajKaj Ref No.: 23900111

Digitally signed by BHANWAR LAL PARMAR
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-07 16:48:29 IST

v-1.0

Sr.No	ROLL NO	NAME	FATHER NAME	ADDRESS	BIRTH DATE	CTG	CTG TYPE	SPL CAT	MERIT NO.	SELECT POSTING PLACE	DISTRICT	Gender	Photo	Sign
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	861277	BEEJA RAM	KHANGARA RAM	VILLAGE-SEDARIY,POST-RANA,TEH. ROHAT PALI - - Rajasthan PALI SEDARIYA 306401	13/01/1993	OBC	OBCM		229	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAVRANI (221082)	JALOR	MALE		
6	857499	BHALA RAM	KHETA RAM	SOCHIRA PATIYAL DAUKIYON KA TALA TEH.- PACHPADRA Rajasthan BALOTARA SOCHIRA PATIYAL 344032	03/02/1995	OBC	OBCM		256	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UMMEDABAD (213592)	JALOR	MALE		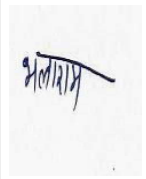
7	859065	PREM PALIWAL	ASHOK KUMAR	PALIWALO KA WAS WARD NO 06 PACHPADRA Rajasthan BALOTARA pachpadra 344032	26/03/2002	GEN-EWS	GEN-EWSM		271	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGODA (213657)	JALOR	MALE		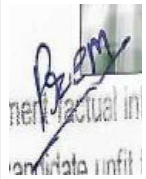
8	855421	JAMATA RAM	BAGA RAM	VILLAGE& POST PANTHERI TEHSIL SAYLA DISTRICT JALORE 343023 Rajasthan JALORE PANTHERI 343023	09/12/1999	SC	SCM		287	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DHANSA BLOCK BHINMAL (213759)	JALOR	MALE		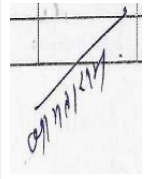

Shaala Darpan

RajKaj Ref No.: 23900111

Digitally signed by BHANWAR LAL PARMAR
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-07 16:48:29 IST

v-1.0